मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका क्र. 1440/1991

पुंडास, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता - श्री जंगी, व्यवसाय - सेवा, निवासी - मंजगांवपारा मुंगेली, जिला - बिलासपुर।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. कृषि उपज मण्डी मुंगेली, द्वारा सचिव, जिला बिलासपुर
2. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति, मुंगेली, जिला बिलासपुर
3. संचालक, मण्डियां, भोपाल
4. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, कृषि मंत्रालय, भोपाल

.....उत्तरदातागण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

रिट याचिका क्र. 1440/1991

पुंडस

-बनाम-

कृषि उपज मंडी मुंगेली व अन्य

7 जुलाई 2025 को आदेश के लिए सूचीबद्ध

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

\

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या. 1440/1991

पुंडस

-बनाम-

कृषि उपज मंडी मुंगेली व अन्य

याचिकाकर्ता के लिए :- कु. शर्मिला सिंघई, अधिवक्ता

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 तक के लिए :- श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता

आदेश

(7.7.2005)

न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा:-

1. वर्तमान याचिका आक्षेपित आदेश **(P/15)** दिनांक 24.01.1991 को चुनवती देते हुये प्रस्तुत की गई है।
2. मामले के न्याय-निर्णयन के लिए सुसंगत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक - 2 द्वारा 6 रुपये प्रतिदिन पर नाकेदार के रूप में दैनिक वेतन पद पर नियुक्त किया गया था। इसी तरह याचिकाकर्ता को कई आदेशो के अंतराल के साथ बार–बार नियुक्त किया गया था।
3. अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 26.11.1990 में दैनिक वेतन के आधार पर 60 दिन की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रावधान है। इसके अलावा आगे आदेश में यह भी प्रावधान किया गया था कि आवश्यकता न होने, कृषि उपज मंडी समिति की आय में वृद्धि न होने, कर्मचारी द्वारा कोई अवैध कार्य किए जाने अथवा संविदा अवधि समाप्त होने की स्थिति पर बिना किसी सूचना के याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। दिनांक 24.1.1991 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में सेवाएं बिना कोई कारण बताए सरलतापूर्वक समाप्त कर दी गईं।
4. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता शर्मिला सिंघई ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की सेवाएं बिना किसी नोटिस या जांच के समाप्त कर दी गई हैं, यहां तक कि समाप्ति आदेश में कारण भी नहीं बताए गए हैं। इसके अलावा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पिछले नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से कोई विशेष आधार नहीं दर्शाया गया है जैसे कि मंडी समिति के पास कोई काम उपलब्ध नहीं था और मंडी समिति की आय में वृद्धि नहीं हुई है या कर्मचारी ने कुछ अवैधानिक कार्य किए हैं या 60 दिनों की अवधि समाप्त हो गई है और बिना नोटिस के आदेश पारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि, प्रतिवादी संख्या 2 को समाप्ति के आदेश में उपरोक्त कारणों में से एक बताना चाहिए था, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है, जबकि याचिकाकर्ता दिनांक 19.2.1982 से दिनांक 24.1.1991 तक कुछ अंतराल के साथ नाकेदार के पद पर कार्यरत रहा। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता को नाकेदार के पद पर नियमित किया जाना चाहिए था, लेकिन जब नियमितीकरण का प्रश्न उठाया गया, तो उत्तरवादी क्रमांक - 2 ने बिना किसी कारण के कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दीं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **जैकब एम. पुथुपरम्बिल और अन्य बनाम केरल वाटर अथॉरिटी और अन्य, प्रतिवेदित (1991) 1 एस.सी.सी. 28** के प्रकरणो में प्रदान किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयो का अवलंब लिया है; **श्री रबीनारायण महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य प्रतिवेदित एआईआर 1991 एस.सी. 1286 प्रतिवेदित**; **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम**

पियारा सिंह और अन्य, (1992) 4 एस.सी.सी. 118; और **गोपालकृष्णन ई.बनाम भारत संघ, प्रतिवेदित ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 707** के प्रकरणो में प्रदान किए गए सूप्रीम कोर्ट के निर्णयो का अवलंब लिया है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता को कार्य की उपलब्धता के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि याचिकाकर्ता की सेवाएं केवल 60 दिनों की अवधि के लिए ली गई थीं। याचिकाकर्ता की सेवाएं कार्य की अनुपलब्धता, मंडी समिति की आय में कोई वृद्धि न होने, किसी अवैध कार्य कारित किए जाने या याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना अवधि समाप्त होने के आधार पर सेवा समाप्त की जा सकती थीं। याचिकाकर्ता की सेवाएं 60 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो गईं, ऐसे मामले में किसी नोटिस या जांच की आवश्यकता नहीं थी। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि सेवाओं को बिना किसी लांछन के सरलता से समाप्त किया गया।

6. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 19.02.1982 से कुछ अंतराल के साथ नाकेदार के रूप में जो सेवाए दी थी, वे लगातार नहीं बल्कि सेवा की आवश्यकता के आधार पर केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए थीं, ऐसे में याचिकाकर्ता के सेवा को नियमित करने या आगे पुनर्बहाली करने के दावा का कोई आधार नहीं है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। उन्होंने **केशव नारायण गुप्ता एवं अन्य बनाम जिला परिषद, शिवपुरी (म.प्र.) एवं अन्य प्रतिवेदित (1998) 9 एस.सी.सी. 78**, **नाजिरा बेगम लश्कर एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य प्रतिवेदित, (2001) 1 एस.सी.सी. 143**, और **भारत संघ एवं अन्य बनाम हरीश बालकृष्ण महाजन प्रतिवेदित, (1997) 3 एस.सी.सी. 194** के प्रकरणो में उच्चतम न्यायालय के निर्णयो का अवलंब लिया है एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय **कृषि उपज मंडी समिति, डबरा व अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय क्र.1, ग्वालियर व अन्य 2001(2) एम.पी.एल.जे. 167** का अवलंब लिया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात मैंने पाया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1982 से 1991 तक दैनिक वेतन पर पर्याप्त अंतराल के साथ नाकेदार के रूप में कार्यरत था, जिसमें पर्याप्त अंतराल था। याचिकाकर्ता की सेवाएं अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 26.11.1990 के 60 दिन की समाप्ति पर समाप्त कर दी गई थीं। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 ने सेवा समाप्ति का कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन अंतिम नियुक्ति तथा समाप्ति आदेश को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि समाप्ति अंतिम नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट आधारों पर की गई थी। पिछली नियुक्तियों में यह पाया गया है कि लगभग एक महीने का अंतराल रहा है।

8. **जैकब एम. पुथुपरम्बिल एवं अन्य पूर्वोवत** का मामला नियमितीकरण का मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने (पैरा 15 में) निम्नानुसार निर्णय दिया है:- "जो लोग कुछ समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें नौकरी से हटाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के निष्कासन के गंभीर परिणाम होते हैं। कर्मचारी का परिवार जो कमाने वाले को मिलने वाले वेतन से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, अगर अचानक नौकरी छीन ली जाती है, तो उसे आर्थिक रूप से बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, प्रतिष्ठान की सेवा में समर्पित जीवन का कीमती समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और पदधारी को कहीं और नौकरी पाने के लिए 'आयु वर्जित' माना जा सकता है। उसका इस्तेमाल करना, उसमें उम्मीद और सुरक्षा की भावना पैदा करना, उसके परिवार को उसकी कमाई पर निर्भर करना और फिर अचानक उसे नौकरी से निकाल देना वास्तव में अनुचित है। ऐसा व्यवहार नौकरी की सुरक्षा की अवधारणा का अपमान होगा और संवैधानिक दर्शन, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार की अवधारणा के विपरीत होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

श्री रविनारायण महापात्रा पूर्वोवत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने (पैरा 8 में) निम्नानुसार निर्णय दिया है:- अपीलकर्ता की नियुक्ति 12 जुलाई, 1982 को हुई थी और वह लगभग 4 वर्षों से अधिकारियों की स्वीकृति के साथ काम कर रहा है, जिसमें छोटे-छोटे अंतराल भी शामिल हैं। प्रबंधन समिति अभी भी उसकी सेवाओं का उपयोग कर रही है, हालांकि 1986 के बाद की अवधि के लिए शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है। यह किसी का ऐसा मामला नहीं है, कि उसकी सेवाओं को कभी भी अकुशलता या कदाचार के आधार पर समाप्त कर दिया जाये।"

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम पियारा सिंह एवं अन्य पूर्वोवत के मामले में नियमितीकरण के मामले में, (पैरा 45 में) सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:- "सामान्य नियम, निश्चित रूप से, निर्धारित एजेंसी के माध्यम से नियमित भर्ती का है, लेकिन प्रशासन की आवश्यकताओं के कारण कभी-कभी तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति की हो सकती है। ऐसी स्थिति में, हमेशा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसे तदर्थ/अस्थायी कर्मचारी को यथाशीघ्र नियमित रूप से चयनित कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। ऐसा अस्थायी कर्मचारी भी ऐसे नियमित चयन/नियुक्ति के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि वह चयनित हो जाता है, तो ठीक है, लेकिन यदि वह नहीं होता है, तो उसे नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार के लिए रास्ता देना चाहिए। ऐसे तदर्थ/अस्थायी कर्मचारी की खातिर नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति को रोका या स्थगित नहीं किया जा सकता है।"

केशव नारायण गुप्ता एवं अन्य पूर्वोवत के मामले में उद्धृत प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय (पैरा 4) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: "अपीलकर्ताओं के अनुसार इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित करने वाले नियम नहीं थे और केवल आवश्यकता यह थी कि कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, 22.1.1987 के संकल्प में यह प्रावधान है कि जब तक नियुक्ति या पदोन्नति के लिए नियम नहीं बनाए जाते, तब तक कलेक्टर द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रक्रिया का पालन करके नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। एक चयन समिति होनी चाहिए जिसमें अध्यक्ष/उनके प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में नियुक्तियाँ संबंधित पंचायत के सचिव द्वारा किया गया। ऐसा नहीं लगता कि इन पदों के लिए कोई आवेदन आमंत्रित किए गए थे। किसी भी नियमित नियुक्ति के लिए कलेक्टर की मंजूरी नहीं ली गई थी। शुरुआत में कलेक्टर द्वारा सीमित अवधि के लिए केवल अस्थायी नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी। जब पंचायत ने इन अपीलकर्ताओं के लिए नियमित नियुक्ति की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया, तो कलेक्टर की मंजूरी ऐसी नियमित नियुक्ति के लिए नहीं दी गई थी। इसलिए, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से उनकी नियुक्तियों को नियमित मानना मुश्किल होगा।"

9. उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई कर्मचारी बिना किसी अंतराल के लंबे समय से काम कर रहा है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नियोक्ता को उसकी सेवाओं की आवश्यकता है, ऐसे में यह तर्क कि नियोक्ता को उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, अस्वीकार्य है। नियमितीकरण से संबंधित अन्य मामले इस मामले के उद्देश्य के लिए सुसंगत नहीं हैं क्योंकि यह बर्खास्तगी का मामला है और याचिका में नियमितीकरण का प्रश्न इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता 24.1.1991 से सेवा में नहीं है। याचिकाकर्ता ने लगभग 9 वर्षों तक अंतराल के साथ काम किया है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादियों को नाकेदार की सेवा की आवश्यकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना और किसी अन्य व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्यारा सिंह पूर्वोवत के मामले में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है (पैरा 46 में) कि "किसी तदर्थ या अस्थायी कर्मचारी को किसी अन्य तदर्थ या अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाना चाहिए; उसे केवल नियमित रूप से चयनित कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से मनमानी कार्रवाई से बचने के लिए यह आवश्यक है"।

10. इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने फरवरी 1982 से 24.1.1991 तक काम किया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की नियमित आधार पर आवश्यकता होगी, और बार को यह भी सूचित किया गया है कि कुछ अन्य समान स्थिति वाले तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की सेवाओं को हटाना अयुक्तियुक्त था, जबकि उसने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, जिससे उसमें आशा और सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और इससे उसका परिवार उसकी कमाई पर निर्भर रहने लगा है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में मेरा विचार है कि 24.1.1991 का आक्षेपित आदेश उत्तरवादी क्रमांक 2 को याचिकाकर्ता को सेवा में पुनःबहाली करने के निर्देश के साथ अपास्त किए जाने योग्य है।
11. जहां तक बकाया वेतन का प्रश्न है, मेरा मत है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया है कि मंडी समिति से सेवा समाप्ति के पश्चात उसे कहीं भी कोई लाभप्रद रोजगार प्राप्त नहीं था तथा यह एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का मामला है, इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी भुगतान का हकदार नहीं है, जब उसने कोई काम ही न किया हो।
12. नियमितीकरण की प्रार्थना के संबंध में, मेरी राय है कि इस चरण में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमितीकरण तब दिया जा सकता है जब याचिकाकर्ता सेवा में हो, न कि तब जब वह लंबे समय से सेवा से बाहर हो। याचिकाकर्ता भविष्य में नियमितीकरण का मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र है।
13. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। 24.1.1991 के बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से एक महीने की अवधि के भीतर बिना बकाया वेतन के याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करें। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu